OF RAJASTHAN

179

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ14(आरआरवीपीएनएल)2016 / एफसीए / प्रमुवसं / 4387 दिनांकः 30.11.2017

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षैत्र) पंचम तल,
केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024 (उ0प्र0)

विषयः– Diversion of 19.7432 ha of forest land for 400 K.V. S/C Extending from 765/400 K.V. GSS to 400/220 GSS PGCILs Kota in Bundi & Kota Districts in favour of RRVPNL without felling of trees-reg. (प्रस्ताव संख्याँ FP/ RJ/ TRANS/ 18259/2016).

संदर्भः–आपका पत्रांक 8 बी / राज / 04 / 7 / 2017 / एफसी / 190 दिनांक 28.7.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, बूंदी के पत्रांक 9100 दि. 25.9.17 से प्राप्त कर अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कोटा ने उनके पत्रांक 7151 26.9.17 से इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार है :– 135/C

शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के दोगुने वनभूमि अर्थात 39.4864 है0 (19.7432 X2 = 39.4864 hac.) पर क्षतिपूरक वृक्षरोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 5093745.60 रूपये (39.4864X129000 = 5093745.60) (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जावेगी।	वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के दोगुने वनभूमि अर्थात 19.7432 है0 (19.7432X2=39.4864 hac.) पर 39.4864X 129000=5093745.60 रूपये क्षतिपूरक वृक्षरोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) चालान द्वारा दि. 27.8.17 को कॉर्पोरेशन बैंक में एडहॉक केम्पा के खाते में जमा करा दिया है। (चालान की प्रतिलिपि संलग्न है)
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधें) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) राज्य सरकार के पास जमा की जावेगी। 19.7432 X 530200.00 = 10467844. 64 रूपये	प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधें) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित 19.7432 X 530200.00 = 10467844.64 रूपये चालान द्वारा दि. 27.8.17 को कॉर्पोरेशन बैंक में एडहॉक केम्पा के खाते में जमा करा दिया है। (चालान की प्रतिलिपि संलग्न है)

....PTO

4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/ 2007–एफसी दि. 5.2.09 के तहत में दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। इसके उपरांत जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी, सीए, पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/ 2007–एफसी दि. 5.2.09 के तहत में दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि रूपये 19.7432 X 626000 = 12359243.20 रूपये चालान द्वारा दि. 27.8.17 को कॉर्पोरेशन बैंक में एडहॉक केम्पा के खाते में जमा करा दिया है। (चालान की प्रतिलिपि संलग्न है)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।
6.	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक, डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक, डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर प्रस्तुत कर दी गई है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी। प्रयोक्ता अभिकरण की अण्डरटेकिंग संलग्न है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

181

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उक्तानुसार ।
(मूल रिपोर्ट)

भवदीय,

(ए.के.सिंह)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर
दूरभाष कार्यालय–01412713759, मो.नं. 9414059146

क्रमांकः एफ14(आरआरवीपीएनएल)2016/एफसीए/प्रमुवसं/4388-91 दिनांकः 30-11-2017

प्रतिलिपिः—

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, बूंदी।
3. उप वन संरक्षक (CAMPA), कार्यालय हाजा।
4. अधिशासी अभियंता, (T&C), RRVPNL, कोटा।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8 बी/राज0/04/07/2017/एफ.सी./825 दिनॉक: 15.02.2018

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

ऑनलाइन आवेदन संख्या– FP/RJ/Trans/18259/2016

विषय: **Diversion of 19.7432 ha. of forest land for 400 KV S/C extending form 765/400 KV GSS to 400/220 GSS PGCILs Kota in Bundi and Kota Districts in favour of RRVPNL wihotut felling of trees- reg.**

सन्दर्भ– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हार्फ), जयपुर का पत्रांक– एफ14(RRVPN)/2016/एफसीए/प्रमुवसं/506, दिनांक–17.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), जयपुर का पत्रांक एफ14(RRVPNL)2016/एफसीए/प्रमुवसं/1303, दिनांक– 11.05.2017 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मॉगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 28.07.2017 द्वारा प्रकरण मे सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं समसंख्यक पत्र दिनांक– 22.08.2017 को शुद्धि पत्र जारी किया गया था। जिसकी अधुरी अनुपालना अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान के पत्रांक–एफ14(RRVPN)/2016/एफसीए/प्रमुवसं/4387, दिनांक– 30.11 2017 द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। प्रकरण में पुनः इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 21.12.2017 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हार्फ), जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 19.7432 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने वनभूमि अर्थात 39.4864 हे0 (19.7432x2= 39.4864 हे0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित ट्रान्समिशन लाइन के नीचे बौने पौधो (विशेषकर औषधीय पौधे) का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।

4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

5. पारेषण लाईन का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।

6. पारेषण लाईन के लिए राइट आफॅ वे (right of way) की चौड़ाई 46 मीटर तक सीमित रहेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समुचित स्थानों पर सर्किट अवरोधक (circuit breakers) लगाए जाएंगे। साथ ही वन्य प्राणियों को विद्युत स्पर्शघात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउन्ड क्लीयरेंस (ground clearance) स्थान सुनिश्चित किया जाएगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

9. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

10. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

13. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

14. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत् स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।

15. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

16. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

17. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार को इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव(वन), सिविल सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
4. उप वन संरक्षक, बूंदी/कोटा, राजस्थान।
5. अधिशासी अभियन्ता, टी0एण्डसी0, आर0आर0वी0पी0एन0एल0, नियर थर्मल सर्किल, सकटपुरा, कोटा, राजस्थान।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली ।

15.02.18

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ 226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / राज0 / 04 / 7 / 2017 / एफ.सी. / 190

दिनॉक: 28.07.2017

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालना इस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

<u>ऑनलाइन आवेदन संख्या– **FP/RJ/Trans/18259/2016**</u>

विषय: **Diversion of 19.7432 ha. of forest land for 400 KV S/C extending form 765/400 KV GSS to 400/220 GSS PGCILs Kota in Bundi and Kota Districts in favour of RRVPNL wihotut felling of trees- reg.**

सन्दर्भ– अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 का पत्रांक– एफ14(RRVPN) / 2016 / एफसीए / प्रमुवसं / 2309, दिनांक–19.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 17.07.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। विषयांकित प्रकरण को दिनांक– 26.07.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की 19वी बैठक में एजेण्डा नं0–19.7–राज0 पर विचार हेतु सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 19.7432 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने वनभूमि अर्थात 39.4864 हे0 (19.7432x2 = 39.4864 हे0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौंने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) राज्य सरकार के पास जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, लाइन के नीचे बौने पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित करने पर अन्तिम / विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

6. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4'' फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी ।

8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक– 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

/

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव {वन}, सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर ।
4. उप वन संरक्षक, बूंदी / कोटा, राजस्थान।
5. अधिशासी अभियन्ता, टी0एण्डसी0, आर0आर0वी0पी0एन0एल0, नियर थर्मल सर्किल, सकटपुरा, कोटा, राजस्थान।
6. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली ।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

(An ISO 9001: 2008 Certified Company)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा

Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in Mobile No. (+91)9414061332

No. RVPN / XEN/T&C/Kota/WORKS/F. /2017-18 /D. 856 Dated 19 09 2017

श्रीमान उपवन संरक्षक
जिला बूंदी

Subject:- Diversion of 19.7432Ha. forest land in favour of Executive Engineer (T&C) Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam for construction work of 400KV S/C line extending from 765/400KV GSS Anta to 400/220KV GSS PGCIL Kota.

Refrence:-(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक संख्या 8बी/राज./04/7/2017/एफ.सी./190 दिनांक 28/07/2017.

(2)आपका पत्र संख्या एफ 2( )/एफ.सी.ए./उ.व.सं./2017-18/8112 दिनांक 11/08/2017

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख हैं। कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक संख्या 8बी/राज./04/7/2017/एफ.सी./190 दिनांक 28/07/2017 के द्वारा 765/400के.वी. जी.एस.एस. अंता से 400/220के.वी. जी.एस.एस पीजीसीआईएल कोटा तक जाने वाली 400के.वी. एकल परिपथ विद्युत ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु 19.7432 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैदान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपरोक्त सैदान्तिक स्वीकृति की पालना मे आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 2( )/एफ.सी.ए./उ.व.सं./2017-18/8112 दिनांक 11/08/2017 के द्वारा विभिन्न मदो मे राशि जमा कराने हेतु कुल 27920833=00 का डिमांड नोट विभिन्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करने हेतु जारी किया गया था । बिंदुवार पालना का विवरण निम्नप्रकार हैं ।

CONDITION NO	CONDITION	STATUS OF COMPLIANCE	PAGE NO
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा	रा.रा.वि.प्र.नि. लि.(यूजर एजेंसी) द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही किया जावेगा इस आशय का वचनबद्दता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर	1

		दिया गया है ।	
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष मे प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने वन भूमि अर्थात 39.4864 है. (19.7432**X2**=39.4864**है**.) पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 5093745.60रु (39.4864**x**129000=5093745.60) (प्रचलित दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी ।	वन विभाग के पक्ष मे प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने वन भूमि अर्थात 19.7432**है**. (19.7432**X2**=39.4864**है**.) पर 39.4864**x**129000 =5093745.60रूपये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि (प्रचलित दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) चालान द्वारा दिनांक 19.09.17 को कोरपोरेसन बैंक मे एड हाक केम्पा के खाते मे जमा करा दिया है। (चालान प्रतिलिपि संलग्न है)	2
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत् लाइन क नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) राज्य सरकार के पास जमा की जायेगी| 19.7432X530200.00 =10467844.64रूपये	प्रस्तावित विद्युत् लाइन क नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित 19.7432है.X5320200=10467844.64 रुपये चालान द्वारा दिनांक 19.09.17 को कोरपोरेसन बैंक मे एड हाक केम्पा के खाते मे जमा करा दिया है। (चालान प्रतिलिपि संलग्न है)	2
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/ 2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नयी दिल्ली में जमा की जायेगी| इसके उपरान्त जमा की गयी	उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/ 2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 19.7432है.X626000=12359243.20रूपये चालान द्वारा दिनांक 19.9.17 को कोरपोरेसन बैंक मे एड हाक केम्पा के खाते मे जमा करा दिया है। (चालान प्रतिलिपि संलग्न है)	2

(C. P. Sharma)
Executive Engineer
(...)
RVPN KOTA

	धनराशि की ऑनलाइन ई-रसीद की छायाप्रति सहीत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमे जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण. पारेषण लाइन के निचे बोने पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरांत ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा|		
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी|	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी| इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।	3
6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा| यह सीमांकन 4'' फीट ऊँचे आर.सी.सी. पिलरों से किया जाएगा| जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पिलरों से दूरी दर्शाई जायेगी|	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा| यह सीमांकन 4'' फीट ऊँचे आर.सी.सी. पिलरों से किया जाएगा| जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, **Backward and Forward bearing** एवं अपने निकटवर्ती पिलरों से दूरी दर्शाई जायेगी| इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।	4
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी|	मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर प्रस्तुत कर दी गई है।	5
8	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य	प्रयोक्ता अभिकरण एव राज्य सरकार	6

(O. P. Sharma)
Executive Engineer
(TSC)

	सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगी|	वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगी| इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।	
	CA AMOUNT AS PER PROPOSAL	5093745.60	
	CA AMOUNT DEPOSITED	5093745.60	
	DIFFERENCE IN AMOUNT	NIL	
	REASON FOR DIFFERENCE	NIL	
	NPV AMOUNT AS PER PROPOSAL	12359243.20	
	NPV AMOUNT DEPOSITED	12359243.20	
	DIFFERENCE IN AMOUNT	NIL	
	REASON FOR DIFFERENCE	NIL	
	DWARF (MEDICINAL) PLANTS , PLANTATION AMOUNT AS PER PROPOSAL	10467844.64	
	DWARF (MEDICINAL) PLANTS , PLANTATION AMOUNT DEPOSITED	10467844.64	
	DIFFERENCE IN AMOUNT	NIL	
	REASON FOR DIFFERENCE	NIL	

उपरोक्त सभी शर्तो की बिन्दुवार पालना सुनिश्चित कर निवेदन है कि उपरोक्त विषय मे विधिवत स्वीकृति जारी करवाने का श्रम करे ।

संलग्न :- उपरोक्त

(O.P.SHARMA)

Exe

RVP

प्रतिलिपि :- श्रीमान जी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1.श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

2.श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता (टी एंड सी) रा.रा.वि.प्र.नि. लि.कोटा

3.श्रीमान सहायक अभियन्ता -प्रथम (टी एंड सी) रा.रा.वि.प्र.नि. लि.कोटा

(O.P.SHARMA)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(An ISO 9001: 2008 Certified Company)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा

Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in

Mobile No. (+91)9414061332

No. RVPN / XEN/T&C/Kota/WORKS/F. /2017-18 /D. 851 Dated 19.09.2017

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक संख्या 8बी/राज./04/7/2017/एफ.सी./190 दिनांक 28/07/2017 के द्वारा 765/400के.वी. जी.एस.एस. अंता से 400/220के.वी. जी.एस.एस पीजीसीआईएल कोटा तक जाने वाली 400के.वी. एकल परिपथ विद्युत् ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु 19.7432हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये जारी की गई सैदान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 की अनुपालना के क्रम मे, रा.रा.वि.प्र.नि. लि.(यूजर एजेंसी) द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही किया जावेगा ।

(O.P. SHARMA)
Executive Engineer
(T&C)
RVPN, KOTA

AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date 18-09-2017

Client Code	CAM5085
Location	RAJASTHAN
Remitter Name	RAJASTHAN RAJYA VIDHYUT PRASARAN NIGAM
PIF/Application No	116162592016553
Address	SE (TCC-V)RVPN,Near Thermal Circle Sakatpura, Kota Kota
Remitter Contact No: Email-Id. Mobile No. Landline No.	xen.cm.kota@rvpn.co.in 9413382702 744-2570084
Amount(in Rs)	27920833.44/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words Two Crore Seventy-Nine Lakh Twenty Thousand Eight Hundred and Thirty-Three Rupees Only

Depositor Signature

9413395702

Branch Signature

17/09/2017

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

forestsclearance.nic.in/UserAccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=TRA

21/09/2017

(O.P. SHARMA)

The Amount is Credited in Above Mentioned A/c on 21/09/2017 of Rs. 2,79,20,833/-

09/10/2017

(2)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(An ISO 9001: 2008 Certified Company)
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा
Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in Mobile No. (+91)9414061332

No. RVPN / XEN/T&C/Kota/WORKS/F. /2017-18 /D. 852 Dated 19.09.2017

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक संख्या 8बी/राज./04/7/2017/एफ.सी./190 दिनांक 28/07/2017 के द्वारा 765/400के.वी. जी.एस.एस. अंता से 400/220के.वी. जी.एस.एस पीजीसीआईएल कोटा तक जाने वाली 400के.वी. एकल परिपथ विद्युत् ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु 19.7432हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये जारी की गई सैदान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 5 की अनुपालना के क्रम मे, सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि रा.रा.वि.प्र.नि.लि.(यूजर एजेंसी) द्वारा जमा करवा दी जावेगी|

(O.P. SHARMA)
Executive Engineer
(T&C)
RVPN, KOTA

(4)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(An ISO 9001: 2008 Certified Company)
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा
Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in
Mobile No. (+91)9414061332

No. RVPN / XEN/T&C/Kota/WORKS/F. /2017-18 /D. 853 Dated 19.09.2017

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक संख्या 8बी/राज./04/7/2017/एफ.सी./190 दिनांक 28/07/2017 के द्वारा 765/400के.वी. जी.एस.एस. अंता से 400/220के.वी. जी.एस.एस पीजीसीआईएल कोटा तक जाने वाली 400के.वी. एकल परिपथ विद्युत् ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु 19.7432हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये जारी की गई सैदान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 6 की अनुपालना के क्रम मे, विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊँचे आर.सी.सी. पिलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, **Backward and Forward bearing** एवं अपने निकटवर्ती पिलरों से दूरी दर्शाई जायेगी एव इस कार्य मे व्यय हुई सम्पूर्ण राशि रा.रा.वि.प्र.नि.लि.(यूजर एजेंसी) द्वारा वहन की जावेगी।

(O.P. SHARMA)
Executive Engineer
(T&C)
RVPN, KOTA

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
(An ISO 9001: 2008 Certified Company)
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा
Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in Mobile No. (+91)9414061332

No. RVPN / XEN/T&C/Kota/WORKS/F. /2017-18 /D. 854 Dated 19.09.2017

मक डिस्पोजल योजना

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक संख्या 8बी/राज./04/7/2017/एफ.सी./190 दिनांक 28/07/2017 के द्वारा 765/400के.वी. जी.एस.एस. अंता से 400/220के.वी. जी.एस.एस पीजीसीआईएल कोटा तक जाने वाली 400के.वी. एकल परिपथ विद्युत् ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु 19.7432हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये जारी की गई सैदान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 7 की अनुपालना के क्रम मे, रा.रा.वि.प्र.नि.लि.(यूजर एजेंसी) द्वारा वन भूमि मे टावर स्थापित किये जायेगे । जिसमे फाउंडेशन कार्य के दौरान एक टावर मे चार गड्डे खोदे जावेंगे। इन गड्डो मे सीमेंट, कंक्रीट, रेत से टावर की स्टब सेटिंग करके गड्डो को मिट्टी से पुनः भर कर समतल कर दिया जायेगा और साईट पर से सीमेंट, रेत, कंक्रीट व अन्य बचा हुआ सामान हटा दिया जायेगा। कार्य के दौरान वन विभाग के पत्थर,लकडी, पेड़ पौधों आदि को उपयोग मे नही लिया जायेगा । और यह कार्य वन विभाग के कर्मचारियो की देखरेख मे ही किया जायेगा ।

(O.P. SHARMA)
Executive Engineer
(T&C)
RVPN, KOTA

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(An ISO 9001: 2008 Certified Company)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (टी एंड सी) कोटा

Email:- xen.tnc.kota@rvpn.co.in Mobile No. (+91)9414061332

No. RVPN / XEN/T&C/Kota/WORKS/F. /2017-18 /D. 855 Dated 19.09.2017

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक संख्या 8बी/राज./04/7/2017/एफ.सी./190 दिनांक 28/07/2017 के द्वारा 765/400के.वी. जी.एस.एस. अंता से 400/220के.वी. जी.एस.एस पीजीसीआईएल कोटा तक जाने वाली 400के.वी. एकल परिपथ विद्युत् ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु 19.7432हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिये जारी की गई सैदान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 8 की अनुपालना के क्रम मे, रा.रा.वि.प्र.नि.लि.(यूजर एजेंसी) एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, क़ानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगी|

(O.P. SHARMA)
Executive Engineer
(T&C)
RVPN, KOTA

(संशोधित)

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001
E-Mail:- dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2( )वन संरक्षण/उवसं/2017-18/ दिनांक :

निमित्तः-

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषयः- 765 के0वी0 जी0एस0एस0 अन्ता से 400 के0वी0 जी0एस0एस0 पावर ग्रिड कोटा को जाने वाली प्रस्तावित 400 के0वी0 एकल परिपथ लाइन के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन प्रस्ताव।

प्रसंगः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक 8 बी/राज0/04/7/2017/एफ0सी0/90 दिनांक 28.07.2017 एवं अधिशाषी अभियन्ता टी0 एण्ड सी0 राज0 राज्य विद्युत प्रसारण कोटा का पत्र क्रमांक 856 दिनांक 19.09.2017 एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर के दूरभाष दिनांक 22.09.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र क्रमांक 8 बी/राज0/04/7/2017/एफ0सी0/90 दिनांक 28.07.2017 765 के0वी0 जी0एस0एस0 अन्ता से 400 के0वी0 जी0एस0एस0 पावर ग्रिड कोटा को जाने वाली प्रस्तावित 400 के0वी0 एकल परिपथ लाइन के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 19.7432 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षो के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसकी बिन्दूवार पालना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निम्न प्रकार बिन्दूवार पालना प्रेषित की गई हैं।

CONDITION NO	CONDITION	STATUS OF COMPLIANCE	PAGE NO
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा	रा.रा.वि.प्र.नि. लि.(यूजर एजेंसी) द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही किया जावेगा इस आशय का वचनबद्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हैं।	1
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष मे प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने वन भूमि अर्थात 39.4864है. (19.7432X2=39.4864है.) पर	वन विभाग के पक्ष मे प्रभावित वन क्षेत्र के दुगने वन भूमि अर्थात 19.7432 है. (19.7432X2=39.4864 है.) पर 39.4864x129000 =5093745.60रूपये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एव 10 वर्षो तक रख रखाव	2

	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 5093745.60रु (39.4864x129000=5093745.60) (प्रचलित दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी ।	हेतु आवश्यक धन राशि (प्रचलित दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) चालान द्वारा दिनांक 27/08/2017 को कोरपोरेसन बैंक मे एड हाक केम्पा के खाते मे जमा करा दिया है। (चालान प्रतिलिपि संलग्न है)	
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत् लाइन क नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) राज्य सरकार के पास जमा की जायेगी। 19.7432X530200.00 =10467844.64रूपये	प्रस्तावित विद्युत् लाइन क नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एव दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित 19.7432 है.X5320200=10467844.64 रूपये चालान द्वारा दिनांक 27/08/2017 को कोरपोरेसन बैंक मे एड हाक केम्पा के खाते मे जमा करा दिया है। (चालान प्रतिलिपि संलग्न है)	2
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/ 2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नयी दिल्ली में जमा की जायेगी। इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई-रसीद की छायाप्रति सहीत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण. पारेषण लाइन के निचे बोने पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य	उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/ 2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 19.7432है.X626000=12359243.20 रूपये चालान द्वारा दिनांक 27/08/2017 को कोरपोरेसन बैंक मे एड हाक केम्पा के खाते मे जमा करा दिया है। (चालान प्रतिलिपि संलग्न है)	2

	हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा|		
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी|	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी| इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।	3
6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा| यह सीमांकन 4" फीट ऊँचे आर.सी.सी. पिलरों से किया जाएगा| जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पिलरों से दूरी दर्शाई जायेगी|	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा| यह सीमांकन 4" फीट ऊँचे आर.सी.सी. पिलरों से किया जाएगा| जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, **Backward and Forward bearing** एवं अपने निकटवर्ती पिलरों से दूरी दर्शाई जायेगी| इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।	4
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी|	मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर प्रस्तुत कर दी गई है ।	5
8	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगी|	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगी| इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।	6
	CA AMOUNT AS PER PROPOSAL	5093745.60	
	CA AMOUNT DEPOSITED	5093745.60	
	DIFFERENCE IN AMOUNT	NIL	
	REASON FOR DIFFERENCE	NIL	
	NPV AMOUNT AS PER PROPOSAL	12359243.20	

	NPV AMOUNT DEPOSITED	12359243.20
	DIFFERENCE IN AMOUNT	NIL
	REASON FOR DIFFERENCE	NIL
	DWARF(MEDICINAL) PLANTS , PLANTATION AMOUNT AS PER PROPOSAL	10467844.64
	DWARF(MEDICINAL) PLANTS , PLANTATION AMOUNT DEPOSITED	10467844.64
	DIFFERENCE IN AMOUNT	NIL
	REASON FOR DIFFERENCE	NIL

प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की समस्त शर्तों की बिन्दुवार पालना आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 कविता सिंह)
उप वन संरक्षक
बून्दी

क्रमांक एफ2( )वन संरक्षण/उवसं/2017-18/ 9101-02 दिनांक: 25-9-17

1. प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता (टी0 एण्ड सी0) राज0 राज्य विद्युत प्रसारण निगम कोटा को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।

(डा0 कविता सिंह)
उप वन संरक्षक
बून्दी

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001
E-Mail: - dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2( )वन संरक्षण/उवसं/2017-18/ दिनांक :

निमित्तः-

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषयः- 765 के0वी0 जी0एस0एस0 अन्ता से 400 के0वी0 जी0एस0एस0 पावर ग्रिड कोटा को जाने वाली प्रस्तावित 400 के0वी0 एकल परिपथ लाइन के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन प्रस्ताव।

प्रसंगः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र कमांक 8 बी/राज0/04/7/2017/एफ0सी0/90 दिनांक 28.07.2017 एवं अधिशाषी अभियन्ता टी0 एण्ड सी0 राज0 राज्य विद्युत प्रसारण कोटा का पत्र कमांक 931 दिनांक 03.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र कमांक 8 बी/राज0/04/7/2017/एफ0सी0/90 दिनांक 28.07.2017 765 के0वी0 जी0एस0एस0 अन्ता से 400 के0वी0 जी0एस0एस0 पावर ग्रिड कोटा को जाने वाली प्रस्तावित 400 के0वी0 एकल परिपथ लाइन के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 19.7432 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षो के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसकी बिन्दूवार पालना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत कार्यालय पत्रांक 9100 दिनांक 25.09.2017 से आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की गई थी।

प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रसांगिक पत्र से राज0 राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 400 के0वी0 s/c line Extending from 765/400 kv GSS Anta to 400/200 kv GSS PGCIL'S KOTA line का निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान करने हेतु लिखा गया हैं। जो मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न पत्र प्रेषित हैं।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

भवदीय

(एल0एस0 राणावत)
उप वन संरक्षक
बून्दी

क्रमांक एफ2( )वन संरक्षण/उवसं/2017-18/ 10081-82 दिनांक : 12-10-17

1. प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि अधिषासी अभियन्ता (टी0 एण्ड सी0) राज0 राज्य विद्युत प्रसारण निगम कोटा को उनके प्रसांगिक पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।

(एल0एस0 राणावत)
उप वन संरक्षक
बून्दी

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल –ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष – 0744–250[illegible]

क्रमांकःएफ13(वन संरक्षण) / समुवसं / 2017 / दिनांक :–

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राज0 जयपुर।

विषय :– 765 केवी जी.एस.एस. अंता से 400 केवी जी.एस.एस. पावरग्रिड कोटा को जाने वाली प्रस्तावित 400 केवी एकल परिपथ लाईन के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन प्रस्ताव।

प्रसंगः– उप वन संरक्षक बून्दी का पत्र क्रमांक एफ 2( )एफसीए / उवसं / 2017–18 / 10080 दिनांक 12.10.2017

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि उप वन संरक्षक बून्दी द्वारा प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) से प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 बी / राज0 / 04 / 7 / 2017 / एफ.सी. / 190 दिनांक 28.07.2017 के संदर्भ में 19.7432 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने एवं समस्त शर्तो की पालना कर लिये जाने के उपरान्त युजर ऐजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य की अनुमति हेतु प्रकरण भिजवाया है, अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 16 किता।

भवदीय

ह0

(इन्द्राज सिंह)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

क्रमांकःएफ13(वन संरक्षण) / समुवसं / 2017 / 7777-78 दिनांक :– 17-10-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप वन संरक्षक बून्दी को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. अधिशाषी अभियन्ता (टी एण्ड सी) रा0रा0वि0प्र0नि0लि0 कोटा।

(इन्द्राज सिंह)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, [illegible] 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow- 226024 Telefax 2326696 2324340 2324047 [illegible]
Email (Env.) m_env@rediffmail.com (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र स0 8 बी/राज0/04/07/2017/एफ.सी /825 दिनांक 15.02.2018

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण)
वन विभाग, अरण्य भवन
झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

ऑनलाइन आवेदन संख्या– FP/RJ/Trans/18259/2016

विषय: Diversion of 19.7432 ha. of forest land for 400 KV S/C extending form 765/400 KV GSS to 400/220 GSS PGCILs Kota in Bundi and Kota Districts in favour of RRVPNL wihotut felling of trees- reg.

सन्दर्भ– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), जयपुर का पत्रांक एफ14(RRVPN)/2016/एफसीए/प्रमुवस/506, दिनांक– 17.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) [illegible] एफ14(RRVPNL)2016/एफसीए/प्रमुवस/1303, दिनांक [illegible].05.2017 [illegible] प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत स्वीकृति [illegible]

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.07.201[illegible] एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 22.08.2017 के शुद्धि पत्र [illegible] मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान के पत्रांक–एफ14(RRVPN)/2016 [illegible] 439 [illegible] प्रस्तुत की गयी थी। [illegible] में पुनः इस कार्यालय के समसंख्यक [illegible] गयी थी [illegible] प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) जयपुर [illegible] अनुपालन पर विचारोपरान्त मुझे [illegible] सूचित [illegible] 19.7432 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन [illegible]

[illegible]

6. पारेषण लाईन के लिए राइट आफ वे (right of way) की चौड़ाई 46 मीटर तक सीमित रहेगी

[illegible] प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समुचित स्थानों पर सर्किट अवरोधक (circuit breakers) लगाए जाएगें। साथ ही वन्य प्राणियों को विद्युत स्पर्शाघात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउन्ड क्लीयरेंस (ground clearance) रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

[illegible] प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख रेख मे किया जायेगा।

[illegible] परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

[illegible] प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

[illegible] प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / [illegible] की आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

[illegible] प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार [illegible] कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

[illegible] प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर [illegible] भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

[illegible] प्रस्तावित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। [illegible] आर०सी०सी० पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी०जी०पी०एस० [illegible] Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य [illegible] विधिवत स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना [illegible]

[illegible] अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

[illegible] अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देश [illegible]

[illegible] किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति [illegible] सरकार को इस विधिवत स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

[illegible] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन [illegible]

[illegible] वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग [illegible]

[illegible]

[illegible] नियर थर्मल सर्किल, सकतपुरा कोटा, राजस्थान।

[illegible] कार्यालय, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)